Form No-|||

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम ....रायसिंहनगर

लिच्छी राम बनाम मुन्शीराम

अन्तर्गत धारा 251क(1) आर.टी.एक्ट नम्बर 24 सन् 2020

जी.सी.एम.एस. 2020/ 00217

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
01.10.2020	प्रार्थी लिच्छीराम पुत्र मुन्शीराम जाति कुम्हार निवासी 59 आरबी तहसील रायसिंहनगर की ओर से श्री कुलदीप भादू अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी जोत चक 59 आर.बी के मुनं. 29 प.नं. 161/267 के कि.नं. 5–6–7–14–4 के 1.265है. नहरी मय खाला भूमि में पहुंच के प्रयोजनार्थ अप्रार्थी की खातेदारी भूमि चक 59 आरबी के मु.नं. 29 प.नं. 161/267 के कि.नं. 3–8–13 की 0.734है. नहरी में से कि.नं. 3 में 2 बिस्वा रास्ता स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यदि प्रार्थी को अपने रकबा में आने जाने के लिए अप्रार्थी की भूमि मु.न. 29 के कि.नं. 3 में 2 बिस्वा रास्ता स्वीकार किया जाता हैं तो अप्रार्थी को कोई एतराज नहीं हैं, तथा ना ही रास्ता हेतु कोई मुआवजा लिया जा रहा हैं एवं न ही भविष्य में मुआवजा की मांग की जावेगी। इस प्रकरण के संबंध में पूर्व में प्राप्त तहसीलदार रायसिंहनगर की रिर्पोट क्रमांक/1183 दिनांक 22.09.2020 का अवलोकन किया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चक 59 आरबी के प.नं. 161/267 मु.नं. 29 के कि.नं. 4/.253, 5/1/.228, 5/2/0.025, 6/1/.228, 6/2/.025, 7/.253, 14/.253 कुल 1.265है. नहरी मय खाला भूमि लिच्छीराम पुत्र मुन्शीराम जाति कुम्हार सा. देह रहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा कीकरवाली एवं इसी चक के मु.नं. 29 प.नं. 161/267 के कि.नं. 3/.253, 8/.253, 13/2/.228 कुल .734है नहरी मुन्शीराम पुत्र नत्थूराम जाति कुम्हार सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। प्रार्थी मु.नं. 29 के कि.नं. 3 में 0.025है. रास्ता स्वीकार करवाना चाहता हैं। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थी एवं अप्रार्थी आपस में पिता पुत्र हैं, अप्रार्थी द्वारा रास्ता स्वीकार करने पर कोई एतराज नहीं किया हैं, तथा रास्ता में आई भूमि के एवज में मुआवजा भी नहीं चाहा हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता हैं। तथा चक 59 आरबी तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 29 प.नं. 161/267 के कि.नं. 3 में 0.025है.(दो बिस्वा) गैर मु. रास्ता स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार रायसिंहनगर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (अर्पिता सोनी) उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2020.10.07 12:56:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner